केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंतर्गत आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी कार्यालय/कार्यपालन यंत्री तथा प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों के साथ दिनांक 18/03/2024 को आयोजित मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक प्रबंध संचालक सह आयुक्त श्री श्रीमन् शुक्ला की अध्यक्षता में दिनांक 18/03/2024 को सायं 04:30 बजे मंत्रालय स्थित एन.आई.सी. कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, अधीक्षण यंत्री, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी कार्यालयों से कार्यपालन यंत्री तथा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से सचिव उपस्थित रहे। बैठक में निम्नवत् बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

1. **नियमन (मासिक आवक/आय की समीक्षा) :-**

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों की माह फरवरी 2024 की आवक की समीक्षा की गई, मासिक आवक 2022-23 की तुलना में फरवरी 2024 की कुल मासिक आवक 42.54 प्रतिशत अधिक रही है। इंदौर संभाग की मासिक आवक में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। प्रगामी आवक (अप्रैल-फरवरी) वर्ष 2022-23 की तुलना में रीवा की आवक 02.92 प्रतिशत कम रही है, संयुक्त संचालक रीवा को इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मंडी शुल्क से माह फरवरीह 2024 की मासिक आय वर्ष 2022-23 की तुलना में भोपाल की 19.98 प्रतिशत, उज्जैन की 01.97 प्रतिशत, ग्वालियर की 11.59 प्रतिशत तथा सागर की 46.19 प्रतिशत कम रही है। मंडी शुल्क से (अप्रैल-फरवरी) 2024 की प्रगामी आय वर्ष 2022-23 की तुलना में भोपाल संभाग की 07.36 प्रतिशत, इंदौर संभाग की 08.59 प्रतिशत, ग्वालियर की 11.72 प्रतिशत, सागर संभाग की 14.86 प्रतिशत कम रही है साथ ही कुल राज्य का योग 02.95 प्रतिशत कम रहा है। माह जनवरी 2024 की स्थिति से माह फरवरी 2024 में "क" वर्ग में बरेली, बैतूल, दमोह, "ख" वर्ग में मुंगावली, "ग" वर्ग में सेमरीहरचंद, बनखेडी, "घ" वर्ग में जीरापुर, बलवाडी, नरसिंहपुर कुल 09 मंडियों में आवक में वृद्धि कर, प्रगामी आवक में कमी से वृद्धि की स्थिति आ चुकी है एवं पोहरी मंडी में 0.06 प्रतिशत की कमी आई है। आवक में कमी के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति, पिपरिया को कारणदर्शी सूचन-पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को आवक में कमी का विश्लेषण करने तथा इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने

के निर्देश दिए गए साथ ही नियमन शाखा में संयुक्त संचालक एवं सहायक संचालक रिपोर्ट की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इंदौर संभाग की पंधाना मंडी में प्रगामी आवक 62.24 प्रतिशत कम होने से पंधाना मंडी में योग्य जांच दल भेजकर जांच कराने तथा धामनोद मंडी में गलत डाटा फीडिंग होने पर संबंधित मंडी सचिव को कारणदर्शी सूचना-पत्र जारी करने के निर्देश संभागीय संयुक्त संचालक को दिए गए। रीवा संभाग से आगामी माह में आवक में वृद्धि की अपेक्षा की गई है। पोर्टल के अनुसार 50 प्रतिशत सोयाबीन तथा सरसों ही मंडियो में आवक हो रहा है, जिससे टैक्स चोरी की संभावना अधिक है। इस संबंध में ऑइल मिल्स का GST (जी.एस.टी) डाटा को एकत्रित करने तथा मिल्स के बिजली के बिल के संबंध में संबंधित क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी के एम.डी. को Annexure सहित अर्द्धशासकीय पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश नियमन शाखा को दिए गए।

2. <u>निरीक्षण दल की कार्यवाही</u> :-

आंचलिक कार्यालय एवं मंडी के निरीक्षण दलों द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई साथ ही आगामी समीक्षा बैठक में जांच किए कुल वाहन/प्रतिष्ठान एवं वाहन/प्रतिष्ठान जिन पर कार्यवाही की गई है, की जानकारी सहित प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। उक्त का प्रारूप नियमन शाखा द्वारा समय-सीमा में बनाकर समस्त संभागों से जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए गए।

3. <u>एम.आई.एस/आई.टी.(ई-मंडी तथा हाईटेक मंडी)</u> :-

मंडियों में ई-पेमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए गए भोपाल में 06.26 प्रतिशत, आष्टा में 01.36 प्रतिशत, टिमरनी में 03.65 प्रतिशत कुल भुगतान के ऑनलाईन पेमेंट हुए है, एम.आई.एस शाखा को इस संबंध में मंडियों में बैठक करने के निर्देश दिए। वर्तमान में 42 मंडियों में ई-मंडी योजना लागू है, इंदौर मंडी में 12700 प्रवेश हुए है, 12586 नीलामी, 12415 तौल एवं 12192 भुगतान किए गए है। ई-मंडी के संबंध में इंदौर, देवास, भोपाल, सागर, हरदा, टिमरनी ने अच्छा कार्य किया है। इन्दौर संभाग अंतर्गत बड़वानी जिले की कृषि उपज मंडी अंजड़ के सचिव द्वारा ऑनलाईन भुगतान संबंधी बहुत अच्छा कार्य किया गया इनके द्वारा लगभग 52 करोड़ रूपये का ऑनलाईन भुगतान व्यापारियों से कराया गया है। सचिव, कृषि उपज मंडी कटनी को ई-मंडी में अच्छा कार्य करने के निर्देश दिए है। सभी मंडी समितियों का ऑनलाईन भुगतान प्रतिशत कुल भुगतान के आधार पर निकाला जाए। किसानों का मंडियों में प्रवेश से लेकर ऑनलाईन भुगतान एवं विशेषकर किसानों के निकास को Capture करने साथ ही आगामी बैठक में प्रवेश से लेकर निकास की जानकारी का कॉलम भी सम्मिलित करने के निर्देश है, जिससे किसानों को मंडी में प्रवेश से लेकर निकास तक में लग रहे समय का अनुमान हो सके। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा रीवा मंडी को आर्दश मंडी बनाये जाने की घोषणा की गई है, मंडी सचिव रीवा को ई-मंडी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के निर्देश दिए गए। आगामी बैठक में फार्मगेट एप की मंडीवार

जानकारी सहित Slide प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को ई-मंडी के क्षेत्र में कार्य करने के निर्देश है। सचिव, मंडी समिति आगर को ई-मंडी योजना में संतोषजनक कार्य नहीं करने पर कारणदर्शी सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए है।

ई-मंडी के संबंध में अलग से वीडियो कॉफ्रेंस की जाएगी।

4. **निर्यात-विपणन:-**

मंडियों द्वारा फरवरी माह तक 37 निर्यातकों को ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज किया गया है। जबकि संभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 265 निर्यातक है। मंडी सचिव, सेक्रेटरी-लॉग-इन के माध्यम से पंजीयन/सत्यापन के विकल्प द्वारा 10 दिवस/31 मार्च निर्यातकों के विवरण ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश है।

ओ.डी.ओ.पी.(ODOP) हेतु आरक्षित शेड की जानकारी जबलपुर संभाग की 06 मंडियों तथा जैविक उत्पादों हेतु आरक्षित शेड की जानकारी जबलपुर संभाग की 11 मंडियों एवं सागर संभाग की मंडियों से अप्राप्त है। ओ.डी.ओ.पी (ODOP) एवं जैविक उत्पाद के आरक्षित शेड की फोटो मुख्यालय प्रेषित करने हेतु दिनांक 31/03/2024 की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

5. **प्रांगण/संपदा-(रिक्त भूखंड, राजस्व रिकार्ड तथा अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही) :-**

संभाग की मंडी/उपमंडी प्रांगण में गोदाम एवं शॉपकम गोदाम आदि के आवंटन की कार्यवाही भोपाल, इंदौर तथा ग्वालियर संभाग द्वारा की गई है। शेष संभागों से प्रगति अपेक्षित है। संभाग की मंडी/उपमंडी प्रांगण में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही केवल ग्वालियर तथा जबलपुर संभाग द्वारा की गई है, शेष संभागों में कार्यवाही निरंक है। उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए मुख्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। प्रांगण की भूमि नामांतरण के संबंध में प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र अनुसार समस्त आचालक अधिकारी प्रमाण-पत्र पी-2 सहित दिनांक 31/03/2024 तक मुख्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

06. **वित्त (पेंशन प्रकरण) :-**

पेंशन प्रकरण माह फरवरी 2024 की स्थिति में भोपाल संभाग में 01, इंदौर संभाग में 08, उज्जैन में 04, ग्वालियर में 08, सागर में 02 और रीवा में 01 शेष है। कुल 24 पेंशन प्रकरण लंबित है। समस्त पेंशन प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश है।

90 प्रकरणों में जीवित होने के प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए है, 12 प्रकरण ऐसे पाये गये है जिसमें पेंशनर को 2020 के बाद लगातार पेंशन मिल रही है जबकि पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है। जीवित प्रमाण पत्र के गलत पेमेंट की संभागवार लिस्ट भेजी जाएगी। जीवित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से भेजे।

07 **विपणन विकास निधि तथा बोर्ड शुल्क :-**

127 मंडियों को सहकारी बैंकों के स्थान पर अन्य बैंकों में खाता खोलने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया था जिसमें से 82 मंडी सचिवों ने जवाब नहीं दिया है एवं 45 मंडी

सचिवों ने जवाब प्रस्तुत किया है। जवाब अगले सप्ताह तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, अन्यथा संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति मुंगावली की विपणन विकास निधि की राशि अवशेष है, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं में लंबित राशि के संबंध में पृथक से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त के संबंध में अर्द्धशासकीय पत्र अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक एवं प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, सहकारिता को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है। ग्वालियर संभाग की मुंगावली, लश्कर मंडी ने अवशेष बोर्ड शुल्क की राशि नहीं भेजी है उक्त राशि को भेजने हेतु संयुक्त संचालक ग्वालियर को निर्देश दिए गए। विपणन विकास निधि तथा बोर्ड शुल्क की राशि समय पर भेजने के निर्देश दिए गए।

8. **परिवीक्षा प्रकरण** :-

परिवीक्षा प्रकरणों की समीक्षा की गई दिनांक 18/03/2024 की स्थिति में कुल 10 प्रकरण लंबित है, जिसमें भोपाल, इंदौर, सागर में एक-एक प्रकरण एवं ग्वालियर संभाग में चार तथा जबलपुर संभाग में तीन प्रकरण लंबित है। परिवीक्षा प्रकरणों में चरित्र सत्यापन आदि का कार्य समय पर कराकर परिवीक्षा प्रकरणों को समाप्त कराने के निर्देश दिये गये।

9. **शिकायत एवं विभागीय जांच शाखा** :-

संभागवार अधिकारियों को आवंटित जांच प्रकरणों की समीक्षा की गई सबसे अधिक 115 शिकायतें जबलपुर संभाग में प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु शेष है। भोपाल संभाग में 13, इंदौर में 08, ग्वालियर 09 एवं सागर में 09 रीवा में 03 तथा उज्जैन 05 शिकायत प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु शेष है। दिनांक 29/02/2024 को एक प्रारूप बनाकर भेजा गया है जिसमें बोर्ड मुख्यालय से प्रेषित सभी जांचों की प्राप्त, भेजी गई एवं लंबित शिकायतों की सूची को 15 दिवस में भेज जाने हेतु लिखा गया है जिसको शीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये।

विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समस्त संभागों से कुल 37 प्रतिवेदन जांच अधिकारी से आना शेष है। लंबित विभागीय जांच के प्रकरणों के संबंध में मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 15/03/2024 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

10. **विधि** :-

प्रदेश में मंडी बोर्ड/मंडी समितियों के विरूद्ध लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास करें।

ऐसे अवमानना प्रकरण जिनमें जवाबदाबा प्रस्तुत नहीं हुये हैं, उनमें प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय की संबंधित शाखा से संपर्क करते हुये जवाबदावा प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें

11. **निर्माण** :-

निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, कुल 58 काम चल रहे है जिनमें ग्वालियर में 13 काम से चल रहे है। ग्वालियर कार्यपालन यंत्री समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे। कार्यपालन यंत्री ग्वालियर को कारणदर्शी सूचना-पत्र जारी करने एवं उनके कामों की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। कार्यपालन यंत्रियों का कार्य के अनुसार रिपोर्ट बनाकर भेजने एवं कार्यपालन यंत्रियों की बैठक रखने के निर्देश दिए गए।

12. **कृषि अवसंरचना कोष** :-

देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कृषि अवसंरचना निधि (A.I.F) योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें ऋण वितरण की अवधि वर्ष 2025-26 तक है। उक्त योजना का लाभ मंडी समितियां प्राप्त करें एवं मंडी समितियां को कृषि अवसंरचना निधि (A.I.F) योजना अंतर्गत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

01. समस्त आंचलिक कार्यालयों द्वारा मंडी प्रभार आवंटन/संलग्नीकरण की कार्यवाही प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरांत ही की जाएगी।
02. लोकसभा निर्वाचन संबंधी कार्य मिलने पर निर्वाचन कार्य को प्राथमिकता एवं लगनपूर्वक किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

21/03/24

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/वी.कां./मार्च/2024/1968 भोपाल, दिनांकः- 22/03/2024

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. उप संचालक(समस्त)/कार्यपालन यंत्री(समस्त)/सहायक संचालक(समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

5. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय(समस्त)।
6. कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग(समस्त)।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ..... (समस्त)।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल